न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 100/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00329

दायर दिनांक :– 18.08.2020 निर्णय दिनांक :– 10.03.2025

1. सुरिन्द्रकौर पत्नी परमजीतसिंह जाति जट सिख निवासी अलड़ तह. दसुहा जिला होशियारपुर
2. कुलवीरकौर पत्नी रणजीतसिंह जाति जट सिख नि. अलड़ तह. दसुहा जिला होशियारपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सुवाकंवर पुत्री जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधि. अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण तथा अन्य सहखातेदारान की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 175–01 बीघा सरहद मौजा जैमलां पटवार क्षेत्र शेखासर में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1020/3501 हिस्सा है। पूर्व में वादग्रस्त भूमि ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 153/7 रकबा 12–00 बीघा, खसरा नम्बर 153/6 रकबा 15–00 बीघा में 5/7 हिस्सा, खसरा नम्बर 153/12 रकबा 12–00 बीघा, खसरा नम्बर 153/1 रकबा 15–01 बीघा में 17/60 हिस्सा, खसरा नम्बर 153/10 रकबा 15–00 बीघा का 4/5 हिस्सा प्रार्थीगण के नमा दर्ज रिकॉर्ड थी। सरकार द्वारा एकीकरण योजना के तहत जरिये नामान्तरकरण संख्या 1686 उक्त खसरान को अन्य खाता के साथ एकीकृत करते हुवे मूल खसरा नम्बर 153 रकबा 175–01 बीघा दर्ज कर दी जिसमें प्रार्थीगण का 1020/3501 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि में प्रार्थीगण के शांति पूर्वक कब्जा काश्त किसी प्रकार की दखल अदांजी नहीं करे जिस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व जारी करवाने का हकदार है। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री करणीसिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् पूर्व में अलग–अलग खसरा नम्बर में विभक्त थी जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण ने तरमीम दुरूस्ती का वाद न्यायालय हाजा में पेश कर रखा है। जिसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम जैमलां के खसरा नम्बर 153 रकबा 175–01 बीघा में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/3/25

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)